

कच्चा प्रमाण-पत्र

भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 की धारा 6/17 की अन्वयिता स०- 229/9-ए-3-2000-2000/98 न्याय दत्ताका 31-1-2000 जो राजकीय गजट उ० प्र० अध्यापन विधायी परिशिष्ट में दि० 31-1-2000 को प्रकाशित हुई है उसके अन्तर्गत उपरोक्त भूदाता जार विकास प्राधिकरण भूदाता जार के माध्यम से जनपद भूदाता जार के सुनिर्धारित नया भूदाता जार आवारणीय योजना के लिये ग्राम- मण्डल परगना- भूदाता जार तहसील- भूदाता जार, जिला- भूदाता जार की निम्नलिखित भूमि पर विधिवत सम्पत्ति का अधिग्रहण आज दि० 07-11-2000 को अधिनियम के अन्तर्गत धारा 6/17 प्राप्त करके भूदाता जार विकास प्राधिकरण भूदाता जार के प्रतिनिधि श्री कृष्ण. रत्न. सिंह द्वारा पदनाम राजेश्वरी देवी का हस्तान्तरित किया गया। राजेश्वरी देवी के स्थित सभी सम्पत्तियों को खाली करवा दिया गया।

गाँव सड़क	क्षेत्रफल	सम्पत्ति यदि कोई हो तो उसका विवरण
1	2	3
✓ 1-	0° 886 /	
✓ 2-	0° 170 /	
✓ 3-	0° 607 /	
✓ 4-	0° 158 /	
✓ 5-	1° 465 /	
✓ 8-	1° 613 /	
✓ 9-	0° 445 /	
✓ 10-	1° 003 /	
✓ 11-	0° 231 /	
✓ 12-	5° 990 /	
✓ 13-	0° 547 /	
✓ 14-	0° 757 /	
✓ 15-	0° 356 /	
✓ 18-	1° 886 /	
✓ 19-	0° 081 /	
✓ 20-	0° 417 /	

Secretary  
Moradabad Development Authority  
Moradabad

07/11/2000